



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 64-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 12, 2020 (VAISAKHA 22, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 मई, 2020

संख्या 13/03/2013-1टी (1).— हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति के बाद, सरकार द्वारा नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम, 2020 कहे जा सकते हैं।
2. ये 21 मार्च, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे।
3. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में, नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“42. उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बिना रहे वाहन के लिए शास्ति। धारा 65(2) (घ) तथा धारा 177.—उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस उदगृहीत की जाएगी :

परन्तु ऑटो-रिक्शा के लिए उदगृहीत की जाने वाली अधिकतम अतिरिक्त फीस प्रति वर्ष पांच हजार रुपये होगी।”

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TRANSPORT DEPARTMENT****Notification**

The 12th May, 2020

No. 13/03/2013-1T (1).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Transport Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2020.
2. They shall be deemed to have come into force with effect from the 21st March, 2017.
3. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, for rule 42, the following rule shall be substituted, namely:-

“42. Penalty for vehicles remained without fitness, section 65(2) (d) and section 177.— Additional fee of fifty rupees shall be levied for each day of delay after expiry of certificate of fitness:

Provided that maximum additional fee to be levied for auto rickshaws shall be five thousand rupees per annum.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.